11 अध्याय

कर व्यवस्था

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- कर का अर्थ।
- कर प्रणालियाँ।
- कर के प्रकार—प्रत्यक्ष व परोक्ष कर।
- केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध।
- जीएसटी विशेष।

परिचय (Introduction)

कर आरोपित करके, राजस्व अर्जित करना सरकार का अधिकार है। संग्रहित 'कर राजस्व' का प्रयोग देश के आर्थिक विकास को गति देने में किया जाता है। अर्थात् कर के माध्यम से जनता आर्थिक योगदान देकर देश के विकास में अपना सहयोग करती है। एक न्यायोचित कर व्यवस्था में किन सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए, इस मुद्दे पर लंबी बहस चलती है, जिसे निष्कर्ष रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

- कर ढाँचे का सरलीकरण एवं कर की दरों का युक्तीकरण।
- कराधार का विस्तार।
- कर प्रशासन को प्रभावी और कुशल बनाना ताकि कर लागत में कमी आए।
- कर राजस्व के लोच को बढ़ाना अर्थात् लोगों की बढ़ती आय के साथ सरकार की आय भी बढ़नी चाहिए।

संक्षेप में एक श्रेष्ठ कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज में व्याप्त आर्थिक-सामाजिक विषमताओं में कमी लाने का प्रमुख उपकरण हो। वर्तमान में सरकार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर के माध्यम से कर संग्रहण का कार्य करती है और समय-समय पर कर व्यवस्था की जटिलताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से समितियों का गठन करती है, जिनमें प्रमुख हैं-केलकर समिति, एल.के.झा. समिति, राजा चलैया समिति, के.एन.वांचू. समिति। इन समितियों की महत्वपूर्ण सिफारिशों का यह परिणाम है कि वर्तमान में-MAT, VAT, CENVAT, MODVAT, GST जैसे नये कर सुधार अपनाये गये। यह सुधार अवश्य ही देश की जीडीपी में करो से अर्जित राजस्व के प्रतिशत को बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही आम जनता पर कर के बोझ को कम करेंगे।

कर का अर्थ

कर वह अनिवार्य भुगतान है, जिसे देश के नागरिकों को अनिवार्य रूप से देना होता है। कर से प्राप्त राजस्व सरकार की राजस्व प्राप्तियां कहलती है। इन प्राप्तियों के कारण सरकार की देयता (Liability) में वृद्धि नहीं होती। बल्कि यह प्राप्तियां सरकार की वास्तविक आय कहलाती है।

कर प्रणालियाँ (Tax Systems)

कर चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष—प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, आनुपातिक और रिग्रेसिव हो सकते हैं। यहाँ पर इन कर प्रणालियों का अर्थ गुण व दोष के साथ ही रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण किया जा रहा है—

1. **प्रोग्रेसिव कर प्रणाली**—इस कर प्रणाली के अन्तर्गत आय में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ कर की दरों को बढ़ाने की संकल्पना को अपनाया जाता है ताकि उच्च आय वर्ग पर कर का बोझ अधिक डाला जा सके और आम जनता को कर बोझ से बचाया जा सके।

2. **डिग्रेसिव कर प्रणाली**—इस कर प्रणाली के अन्तर्गत एक सीमा तक आय में वृद्धि के साथ-साथ कर की दरों को बढ़ाना उचित है, परन्तु एक सीमा के बाद आय में वृद्धि के बावजूद भी कर की दरों को स्थिर करना उचित रहता है, ताकि करों की चोरी की प्रवृत्ति को रोका जा सके और सरकार को प्राप्त होने वाले कर राजस्व में कमी न आये।
3. **आनुपातिक कर प्रणाली**—इस कर प्रणाली के अन्तर्गत आय में परिवर्तन होने के बावजूद भी कर की दरें एक निश्चित अनुपात में अर्थात् स्थिर रखी जाती है। यह कर व्यवस्था उद्यमशीलता को बढ़ाने में सहायक है।
4. **रिग्रेसिव कर प्रणाली**—इस कर प्रणाली के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग पर कर की दरों को कम रखने की संकल्पना प्रस्तुत की जाती है ताकि उच्च आय वर्ग अधिक बचत कर सके और यह बचत आर्थिक विकास के लिए प्रयोग की जा सके।

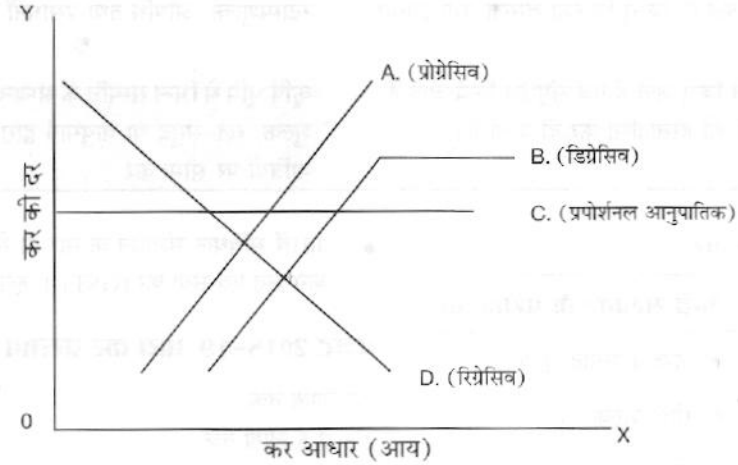

चित्र 11.1: न्यायपूर्ण कर प्रणाली

उपरोक्त रेखाचित्र के आधार पर सर्वाधिक न्यायपूर्ण कर प्रणाली डिग्रेसिव कर प्रणाली को माना जाता है, क्योंकि इस कर प्रणाली में प्रोग्रेसिव व आनुपातिक कर प्रणालियों को मिश्रित रूप से अपनाया गया है। एक सीमा तक कर की दरें बढ़ा कर, कर आय में वृद्धि की जा रही है, तो दूसरी ओर कर की दर स्थिर होने के बावजूद भी कर आधार (आय) विस्तृत होने से पुन: बढ़ा कर राजस्व ही प्राप्त होता है और कर अपवंचन का भय भी सीमित हो जाता है।

कर के प्रकार (Types of Tax)

कर के दो प्रकार हैं—

1. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
2. परोक्ष कर (Indirect Tax)

1. **प्रत्यक्ष कर**—उन करों को प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें कर भुगतान वही करता है, जिस पर यह कर आरोपित किया जाता है अर्थात् कर भुगतान का मौद्रिक भार वहीं व्यक्ति वहन करता है, जिस पर यह कर आरोपित किया जाते हैं। इन करों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि कर के मौद्रिक भार को किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।

उदाहरण—आय कर, निगम कर, आदि।।

2. **परोक्ष कर**—यह कर प्रत्यक्ष कर के विपरीत होते है, अर्थात् जिस पर कर आरोपित होता है, वह व्यक्ति कर के मौद्रिक भार को अन्य व्यक्ति पर हस्तान्तरित कर देता है। अर्थात् जिस पर कर आरोपित किया गया है वह व्यक्ति कर का मौद्रिक वहन स्वयं न करके दूसरे पर टाल देता है। इन करों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि कर आरोपित किसी और व्यक्ति पर किया जाता है जबकि कर का वास्तविक वहन करने वाला कोई और होता है।

उदाहरण—सेवा कर, सीमा शुल्क, आदि।

केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्ध (Financial Relations between Union and States)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों की स्पष्ट व्याख्या की गयी है। वे कर जिनका अन्त: राज्यीय आधार है, केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि स्थानीय आधार वाले कर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। एवं अवशिष्ट अधिकार (Residual Power) केन्द्र सरकार को प्राप्त हैं।

केन्द्र सरकार के कर

संविधान की 7वीं अनुसूची में केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्त्रोतों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची की प्रथम लिस्ट में उन करों का वर्णन है, जो पूर्णतया केन्द्र द्वारा आरोपित किये जाते हैं। इन्हें संघीय कर (Union Taxes) कहते हैं।

तालिका 11.1: केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए करों को चार भागों में विभाजित किया गया है

कर	उदाहरण
(i) वे कर जो केन्द्र द्वारा लगाये जाते हैं तथा जिनसे प्राप्त आय पूर्णरूप से केन्द्र सरकार की होती है।	सेस व सरचार्ज
(ii) वे कर जो केन्द्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा एकत्रित किये जाते हैं, किन्तु जिनसे प्राप्त आय का एक निश्चित अंश राज्य सरकारों को बांट दिया जाता है।	उत्पादन शुल्क, आयकर, निगम कर
(iii) वे कर, जो केन्द्र द्वारा लगाए जाते है, किन्तु जिनकी वसूली तथा उपयोग राज्यों द्वारा किया जाता है।	स्टाम्पशुल्क, औषधि तथा प्रसाधनों पर उत्पादन शुल्क
(iv) वे कर, जो केन्द्र द्वारा आरोपित किए जाते हैं एवं संगृहित किये जाते हैं, किन्तु जिनकी पूरी राशि राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाती है।	कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के सम्बन्ध् में सम्पदा शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क, रेल-समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाये जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमा कर

तालिका 11.2: केन्द्र सरकार के कर

केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष कर	केन्द्र सरकार के परोक्ष कर
• आय कर	• केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
• सम्पत्ति कर	• सीमा शुल्क
• निगम कर	• सेवा कर
• ब्याज कर	• केन्द्रीय बिक्री कर
• उपहार कर	
• बैंक कैश ट्रांज़ैक्शन टैक्स	
• सिक्योरटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स	

तालिका 11.3: राज्य सरकार के कर

राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर	राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर
• भू-राजस्व	• राज्य उत्पाद शुक्ल
• कृषि आय पर कर	• डीजल एवं पेट्रोल पर कर
• व्यवसाय कर	• स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क
• पथ कर	• विज्ञापन कर
• होटल प्राप्तियों पर कर	

वर्तमान में समाप्त किये गये कर

- बैंकों से नकद पैसा निकालने पर लगने वाला बैंकिंग कैश ट्रांज़ैक्शन टैक्स (BCTT) 1 अप्रैल, 2009 से पूरी तरह हटा लिया गया है।
- सम्पत्ति शुल्क को 2014-15 के बजट में समाप्त कर दिया गया है।
- 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से सभी अप्रत्यक्ष करों का विलय कर वस्तु एवं सेवा कर (GST) 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है।

बजट 2018-19 आय कर प्रस्ताव (60 वर्ष तक आयु वर्ग)

2.5 लाख तक	—	0%
2.5 से 5 लाख तक	—	5%
5 लाख से 10 लाख तक	—	20%
10 लाख से अधिक	—	30%
50 लाख से 1 करोड़	—	30% व 10% सरचार्ज
1 करोड़ से अधिक	—	30% व 15% सरचार्ज

वरिष्ठ नागरिक (60-80 आयु वर्ग)

3 लाख तक	—	0%
3 लाख से 5 लाख तक	—	5%
5 लाख से 10 लाख तक	—	20%
10 लाख से अधिक	—	30%
50 लाख से 1 करोड़	—	30% व 10% सरचार्ज
1 करोड़ से अधिक	—	30% व 15% सरचार्ज

अति वरिष्ठ नागरिक (80 आयु वर्ग से अधिक)

5 लाख तक	—	0%
5 लाख से 10 लाख तक	—	20%
10 लाख से अधिक	—	30%
50 लाख से 1 करोड़	—	30% व 10% सरचार्ज
1 करोड़ से अधिक	—	30% व 15% सरचार्ज

ध्यातव्य हो कि

देयकर व सरचार्ज की राशि पर 4% का शिक्षा व स्वास्थ्य उपकर (Cess) लगाया गया है।

जीएसटी—(Goods and Services Tax –GST)

जीएसटी अपनाने के कारण

वर्तमान में जीएसटी 140 से ज्यादा देशों अर्थात् विश्व के लगभग 2/3 देशों मे लागू है। भारत में इसे अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में सबसे बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। देश में अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्थित संकल्पना होने के बावजूद भी भारत में जीएसटी अपनाने की कवायद आज से 16 वर्ष पहले शुरू हो गयी थी। अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर जीएसटी को अपनाने के दो प्रमुख कारण हैं—

1. आन्तरिक कारण (Internal Reason)
2. बाह्य कारण (External Reason)

1. **आन्तरिक कारण**—यदि हम वर्तमान संदर्भ में देखे तो किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं के पास पहुँचने से पहले तक आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रकार के कर लगाये जाते है। इसके अलावा केन्द्र सरकार विभिन्न सेवाओं पर सेवा कर भी लगाती है।

   वर्तमान में प्रचलित उक्त कर प्रणाली में कई खामियाँ है—जैसे कि कर के ऊपर कर, जिसे कैस्कैडिंग इफैक्ट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया में कोई भी वस्तु विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। इस दौरान प्रत्येक चरणों पर उसके ऊपर अलग-अलग प्रकार के कर लगते है। फलस्वरूप होता ये है कि पहले दिये गये टैक्स कंपोनट के ऊपर भी टैक्स लगता है। इस स्थिति को एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। **उदाहरण**—मान लीजिए कि किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है और फैक्ट्री गेट से बाहर निकलते ही उस पर उत्पाद शुल्क लगा, फिर जब बिक्री हेतु बाजार में आयी तो उस पर बिक्री कर लगता है, परन्तु बिक्री कर जिस मूल्य पर लगता है उसमें उत्पाद शुल्क भी शामिल होता है। इस प्रकार कर के ऊपर कर की वजह से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। चूंकि अप्रत्यक्ष कर की अधिकता विशेषकर गरीब वर्गों को प्रभावित करती है। अत: अप्रत्यक्ष कर का न्यून होना आवश्यक है। साथ ही विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर होने के कारण अलग-अलग पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि की समस्या कहीं न कहीं इसके अनुपालन को कठिन बना देती है। अनुपालन में जटिलता एवं एकीकृत कर प्रणाली के आभाव में कर वंचन होना स्वभाविक है। और यह प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कर राजस्व को क्षति पहुंचाती है।

2. **बाह्य कारण**—1991 में देश में आर्थिक उदारीकरण के दौर की शुरूआत हुई और भारत के विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बन जाने के बाद से, विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित हुए परन्तु भारतीय कर प्रणाली के जटिल ढांचे के चलते विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से बचते रहे। यही कारण है कि ईज डूइंग बिज़नेस इंडेक्स (विश्व बैंक द्वारा जारी सूचकांक) में भारत आज भी 100 शीर्ष देशों में अपना स्थान नहीं बना पाया है। इस स्थिति को समझने के लिए कि, विदेशी निवेशक या देश के निवेशकों को भारत में निवेश करने में कितनी जटिलता का सामना करना पड़ता है को उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। **उदाहरण** मान लीजिए यदि कोई निवेशक (विदेशी/देशी) तमिलनाडु में कारखाना स्थापित करता है तो उसे उस राज्य में प्रचलित कर की दरों के अनुरूप कर देना होगा और जब यही उत्पाद अन्य राज्यों में बिक्री के लिए जायेगा तब उस निवेशक को हर राज्य के अलग अलग वैट दरों, चुंगी कर, प्रवेश कर को चुकाना पड़ेगा जो कि एक जटिल प्रक्रिया है।

   उपरोक्त कारणों के चलते जीएसटी कानून उपभोक्ता, उत्पादक वर्ग, विदेश निवेश, कर वंचन, कर राजस्व जैसे महत्वपूर्ण आधारों पर अनिवार्य हो जाता है।

जीएसटी की संवैधानिक प्रक्रिया

अप्रत्यक्ष कर सुधारों से जुड़े जीएसटी की कवायद 16 वर्ष पहले (वर्ष 2000 में) अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू की थी जबकि यूपीए सरकार पहली बार जीएसटी से जुड़ा विधेयक संसद में लेकर आई, लेकिन गतिरोध के चलते यह विधेयक पारित न हो सका। जीएसटी का संवैधानिक प्रक्रिया का क्रम इन 16 वर्षों में कैसा रहा, को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

तालिका 11.4: जीएसटी का संवैधानिक प्रक्रिया का क्रम

वर्ष	जीएसटी का संवैधानिक प्रक्रिया
2000	वाजपेयी सरकार ने अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में समिति गठित की।
2004	केलकर समिति ने मार्च, 2004 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और जीएसटी को अर्थव्यवस्था के लिए अहम बताया।
2006	बजट में जीएसटी लाने की घोषण की गयी और तत्कालिक वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अप्रैल, 2010 से इसे लागू करने का प्रस्ताव रखा।
2007	राज्यों की सलाह से 31 दिसम्बर, 2007 को जीएसटी पर बेहतर संभव ढांचे वाली रिपोर्ट पेश की गयी।
2010	तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने अप्रैल, 2011 से जीएसटी लागू करने का ऐलान किया।

(Continued)

तालिका 11.4: जीएसटी का संवैधानिक प्रक्रिया का क्रम *(Continued)*

वर्ष	जीएसटी का संवैधानिक प्रक्रिया
2011	115वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया और तत्पश्चात् यह विधेयक संसद की स्थायी समिति को भेजा गया।
2013	अगस्त, 2013 में स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश हुई परन्तु गुजरात समेत कई राज्यों ने जीएसटी का विरोध किया।
2014	जीएसटी का 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। कांग्रेस ने इस संशोधन बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की।
19 दिसम्बर, 2014	देश भर में जीएसटी लागू किये जाने के संदर्भ में संविधान (122वां संशोधन) विधेयक 2014 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
6 मई, 2015	यह विधेयक लोक सभा में पारित किया गया और तत्पश्चात् इसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।
14 मई, 2015	राज्य सभा में प्रस्तुत किये जाने पर यह विधेयक 14 मई, 2015 को सिलेक्ट कमेटी (अध्यक्ष भूपेन्द्र यादव) के विचारार्थ भेजा गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 22 जुलाई, 2015 को सौंपी।
3 अगस्त, 2016	राज्य सभा ने संशोधनों के साथ यह विधेयक पारित किया।
8 अगस्त, 2016	राज्य सभा द्वारा इसमें संशोधन किये जाने के कारण यह विधेयक पुन: लोक सभा में प्रस्तुत (वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा) एवं पारित हुआ।
12 अगस्त, 2016	संसद में पारित होने के बाद संवैधानिक अपेक्षानुसार इस विधेयक का कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक था। 12 अगस्त, 2016 को असम इस विधेयक का अनुसमर्थन करने वाला देश का पहला राज्य बना। ***नोट***—जिन 18 राज्यों की विधान मण्डल में जीएसटी पास हो चुका है का क्रम निम्नवत् है-बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली, नागालैण्ड, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा, राजस्थान, अरूणाचल प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश।
8 सितम्बर, 2016	राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा संविधान (122वां संशोधन) विधेयक को स्वीकृति दी गयी। इसी दिन इस विधेयक को संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम के रूप में भारत के राजपत्रा में प्रकाशित कर अधिसूचित कर दिया गया।

जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया

यदि 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू हो जाता है तो कर आरोपित करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से रहेगी—

तालिका 11.5: जीएसटी कर आरोपित करने की प्रक्रिया

चरण	क्षेत्र	जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया
पहला चरण	मैन्युफैक्चरिंग	• मान लीजिए एक उद्यमी 100 रूपये मूल्य का कपड़ा खरीदता है और इस कपड़े में 10 प्रतिशत का अप्रत्यक्ष कर भी शामिल है। • वह उद्यमी इस कपड़े से शर्ट तैयार करता है जिसमें उसने 30 रूपये खर्च किये अर्थात् शर्ट बनाने की लागत 30 रूपये की पड़ी। • उद्यमी शर्ट तैयार होने पर उसकी कीमत 130 रूपये रखता है। • 130 रूपये की शर्ट पर 10 प्रतिशत के हिसाब से 13 रूपये का जीएसटी पड़ेगा चूंकि वह 10 रूपये का कर कपड़ा खरीदते वक्त अदा कर चुका है अत: वह वास्तविक कर 3 रूपये (13-10=3 रूपया) देगा।
द्वितीय चरण	थोक विक्रेता	• उद्यमी द्वारा निर्मित शर्ट अब थोक विक्रेता के पास पहुंचती है और उसने उस शर्ट के लिए 130 रूपये मूल्य चुकाये। • 130 रूपये की शर्ट पर थोक विक्रेता 20 रूपये का अपना मुनाफा जोड़ता है अब शर्ट की कीमत हुई 150 रूपये।
तीसरा चरण	खुदरा व्यापारी/ रिटेल व्यापारी	अब शर्ट पर 10 प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी बनती है 15 रूपये, चूंकि शर्ट निर्माता इस शर्ट पर पहले ही कर भुगतान कर चुका है। अर्थात् 13 रूपये का कुल कर भुगतान हो चुका है। अत: थोक विक्रेता 2 रूपये (15-13=2 रुपये) कर देगा।

(Continued)

चरण	क्षेत्र	जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया
		• थोक विक्रेता ने खुदरा कारोबारी को 150 रूपये में शर्ट बेची। • खुदरा व्यापारी ने इस पर 10 रूपये का अपना मुनाफा जोड़ा अब शर्ट की खुदरा कीमत 160 रूपये हो गयी। • 160 रूपये मूल्य की शर्ट पर 10 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है अर्थात् 16 रूपये कर हुआ चूंकि थोक विक्रेता के स्तर तक कर का भुगतान 15 रूपये तक का हो चुका है। अत: खुदरा व्यापारी को केवल 1 रूपये (16 – 15 = 1 रुपये) कर चुकाना पड़ेगा।

कुल जीएसटी—यानी शर्ट पर निर्माता, थोक विक्रेता और रिटेलर के स्तर पर लगा कुल जीएसटी 10+3+2+1=16 रुपये का हुआ। शर्ट की कीमत 150+16=166 रुपये हो गयी। इस प्रकार जीएसटी निर्माता या सेवा प्रदाता से उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन पर लगने वाला एकल कर है, जिससे करो का क्रमप्रपाती प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके तहत कच्चे माल पर अदा किया गया कर, तैयार माल पर अदा किए गए कर से घटा दिया जाएगा और यही प्रक्रिया आगे थोक विक्रेता से रिटेलर तक हर चरण में मूल्य वर्धन पर 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' के रूप में लागू होगी। साथ ही इसके तहत देश भर में समान कर व्यवस्था होगी, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर अबाधित हस्तांतरण होगा।

जीएसटी की संरचना

भारत में जीएसटी की त्रिस्तरीय संरचना का प्रारूप तैयार किया गया है जो निम्नवत है—

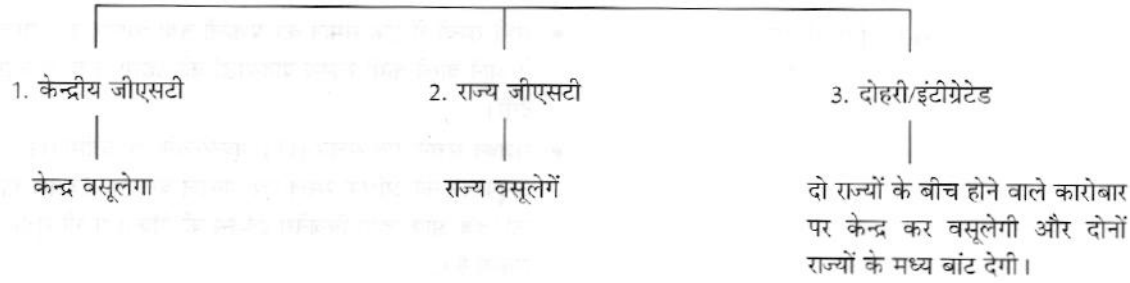

तालिका 11.6: जीएसटी में शामिल कर

जीएसटी में शामिल केन्द्र सरकार के कर	जीएसटी में शामिल राज्य सरकार के कर
• केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	• मूल्यवर्धनकर/विक्रय कर
• अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	• मनोरंजन कर
• सेवा कर	• चूंगी कर
• विशेष अतिरिक्त सीमा कर	• प्रवेश शुल्क
• होटल प्राप्तियों पर कर	• विलासिता कर
	• लाटरी पर कर
	• सट्टेबाजी पर कर

जीएसटी परिषद के गठन की स्वीकृति

12 दिसम्बर, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संविधान के नए अनुच्छेद 279ए के अनुरूप जीएसटी परिषद के सृजन को स्वीकृति दी गई। साथ ही जीएसटी सचिवालय की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई। जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा। सचिव (राजस्व) को जीएसटी परिषद का पदेन सचिव

तालिका 11.7: जीएसटी का वर्ग विशेष पर प्रभाव

वर्ग विशेष	प्रभाव	
राज्य व केन्द्र सरकार	(i) बेहतर राजस्व दक्षता	ऐसा अनुमानित है कि जीएसटी आने के बाद कर-संग्रहण की लागत में वर्तमान की अपेक्षा कमी आयेगी
	(ii) कर वंचन पर बेहतर नियंत्रण	वर्तमान कर प्रणाली की अपेक्षा जीएसटी के अनुपालन में जटिलता कम रहेगी, क्योंकि विभिन्न केन्द्रीय व राज्य करों के लिए अलग रिटर्न या पंजीकरण की समस्या से छुटकारा मिलेगा सरल प्रक्रिया व तकनीकी प्रयोग से जीएसटी के अंतर्गत कर वंचना पर भी नियंत्राण पाया जा सकेगा।
व्यापार एवं उद्योग जगत	(i) पूरे देश में एकल कर संरचना	जीएसटी लागू होने के पश्चात पूरे देश में वस्तु व सेवा कर की एकसमान दर होगी, जिससे कर की दरों में समानता पूरा देश एक बाजार के रूप में उभरेगा, इससे व्यापार करने में सरलता होगी तथा कर के ऊपर कर लगाने से कही न कही लागत में वृद्धि होती है, परन्तु इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था बिजनेस की लागत को कम करेगी।
	(ii) बेहतर प्रतिस्पर्द्धा	• सभी राज्यों में एक समान कर प्रणाली तथा व्यापार की लागत में आने वाली कमी स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को उद्योग जगत में बढ़ावा देगी। • सशक्त सूचना एवं संचार (IT) अवसंरचना का प्रयोग (GST) के अनुपालन को अधिक सरल एवं आसान बनाएगा, जिससे भारत की 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में भी सुधार हो सकता है।
उत्पादकों एवं निर्यातकों का वर्ग		केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित हो जाने से जहाँ कर की दर कम लगेगी, वही पूरे देश में कर की दर में समानता रहने से देश के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा। इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविध से उत्पादन लागत में कमी आएगी, जिसका फायदा देश के उत्पादक वर्ग को होगा, साथ ही देश की वस्तु की लागत कम होने से अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ने से देश के निर्यात भी प्रोत्साहित होंगे।
उपभोक्ता वर्ग		जैसा कि विदित है, अप्रत्यक्ष कर का अंतिम बोझ उपभोक्ता को ही उठाना है, इसलिए जीएसटी आने के बाद इससे उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्र व राज्यों द्वारा कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करो के कारण तथा मूल्यवर्धन श्रृंखला में इनपुट टैक्स क्रेडिट की खामियों के कारण अनावश्यक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते है, परन्तु जीएसटी में एक दर होने एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था होने से इस समस्या से निजात मिलेगी। इतना ही नहीं जीएसटी के अन्तर्गत कर भी वर्तमान दर से कम ही देय होगा।

नोट—जीएसटी परिषद ने जीएसटी के सर्वाधिक दर 28% रखी है।

बनाया गया है तथा जीएसटी परिषद की कार्यवाहियों में 'सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम' के अध्यक्ष को स्थायी आमंत्रित (गैर मतदाता) के रूप में शामिल किए जाने को भी मंजूरी दी गई है जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22-23 सितम्बर, 2016 के दौरान हुई।

जीएसटी परिषद के कार्य—जीएसटी के मामले में विभिन्न निर्णयों के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया है जिसमें केन्द्र व राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्य सरकारें सदस्य होगी। इस प्रकार यह एक शक्तिशाली संविधिक निकाय होगा।

जीएसटी की दर संरचना

- 3 नवम्बर, 2016 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली जीएसटी परिषद की बैठक में 'नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था' हेतु वस्तु एवं सेवा कर की 4 स्तरीय संरचना को स्वीकृति प्रदान की गई।
- जीएसटी की यह 4 स्तरीय दर संरचना अधिभार सहित बहु-स्लैब दरों के साथ है जिसके तहत कर दरों के 4 मूल स्तर निम्नवत् हैं—

तालिका 11.8: जीएसटी की 4 स्तरीय दर संरचना

जीएसटी कर की दरें	शामिल वस्तुएं
शून्य	खाद्यान्न सहित लगभग आधी उपभोक्ता खुदरा महंगाई बास्केट वस्तुओं पर जीएसटी शून्य होगा ताकि आम जनता को स्फीतिक दबावों से संरक्षित किया जा सके।
5 प्रतिशत	आम उपभोग की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगायी जायेगी।
12 और 18 प्रतिशत	एफएमसी वस्तुओं अन्तर्गत आने वाली अधिकांश वस्तुए व सेवाएं।
28 प्रतिशत	घरेलू इलेक्ट्रानिक उत्पादों एवं सामान्य कारों आदि पर आरोपित होगी तथा वर्तमान में 30-31 प्रतिशत कर (उत्पाद व वैट सहित) दायरे वाली वस्तुएं एवं सेवाएं इसके तहत आएगी।
28 प्रतिशत+अधिभार	तम्बाकू उत्पाद, पान, मसाला, शीतल पेय एवं लक्जरी गाड़ियों सहित विलासिता एवं अवगुण वस्तुओं पर आरोपित किया जायेगा। अधिभार की दर क्या होगी, पर सहमति नहीं बनी है।

- वर्तमान स्वच्छ उर्जा अधिभार जारी रहेगा जबकि वर्तमान में लगाये जा रहे अन्य अधिभार/उपकर-स्वच्छ भारत अधिभार, कृषि कल्याण अधिभार व शिक्षा उपकर जीएसटी में समाहित हो जायेगी।

16 जनवरी, 2017 को संपन्न जीएसटी परिषद की बैठक में केन्द्र व राज्यों के बीच निम्न संदर्भ में सहमति बनी—

- 1.5 करोड़ रूपये तक सालाना कारोबार वाली इकाइयों से वसूले गए कर के संदर्भ में आंकलन एवं प्रशासन में केन्द्र सरकार का हिस्सा मात्रा 10 प्रतिशत रहेगा तथा शेष 90 प्रतिशत पर राज्यों का प्रशासनिक अधिकार होगा।
- 1.5 करोड़ रूपये से अधिक के वार्षिक करोबार वाली इकाइयों से वसूले गए कर के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य का 50:50 के अनुपात में अधिकार होगा।
- करदाताओं की कर समीक्षा के लिए एक ही प्राधिकार होगा।
- राज्यों को उनके समुद्र तट से 12 समुद्री मील के दायरे में होने वाली आर्थिक गति विधियों पर कर उद्ग्रहण की शक्ति होगी हालाँकि संवैधानिक रूप से ये अधिकार केन्द्र में निहित किए गए हैं।

ध्यातव्य हो कि

16 जनवरी 2017 की बैठक के बाद केन्द्रीय वित्तीय मंत्री अरूण जेटली द्वारा जीएसटी को लागू किये जाने की विधि को 1 अप्रैल 2017 से बढ़ाकर 1 जुलाई 2017 किए जाने की घोषणा की गई।

जीएसटीएन

गैर-लाभ एवं गैर-सरकारी कंपनी के माध्यम से माल और सेवा कर नेटवर्क की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन एवं पारदर्शी होगी। रिर्टन और इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था के पूरी तरह से आनलाइन होने से कर आधार व्यापक होने के साथ-साथ कर अनुपालन में भी सुधार होगा। इससे पारदर्शिता और सरलता आने से जहां व्यापारी कर अनुपालन हेतु प्रोत्साहन होंगे, वहीं समान कर व्यवस्था से प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होगी। साथ ही जीएसटी कर अपवंचन की रोकथाम के साथ कर प्रशासन को दक्ष भी बनाएगा।

जीएसटीएन के कार्य का प्रारूप

- कारोबारी जीएसटीएन पोर्टल पर अपने मोबाइल नम्बर और पैन नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे।
- जीएसटीएन पर पंजीकरण कराने पर 15 डिजिट का एक नंबर कारोबारी को मिलेगा।
- जीएसटीएन पोर्टल का इस्तेमाल केन्द्र, राज्य सरकारें और कारोबारी एक साथ अपने-अपने कार्य के लिए कर सकेंगे।
- कारोबारी इस पोर्टल की मद्द से केन्द्र और राज्य का जीएसटी जमा कर सकेंगे और रिर्टन फाइल कर सकेंगे।
- कारोबारी छोटे हों या बड़े, उन्हें कर अधिकारियों से सम्पर्क करने की जरूरत नहीं होगी वे सिर्फ इसी पोर्टल के माध्यम से कर अधिकारियों से सम्पर्क कर सकेंगे।

अध्याय सार संग्रह

- प्रत्यक्ष कर की उगाही के उद्देश्य से सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की स्थापना 1963 में हुई।
- स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित एक अप्रत्यक्ष कर चुंगी कर/प्रवेश कर है।
- लाफेर वक्र (Luffer Curve) एक सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि करने से राजस्व में कमी प्रकट करता है।
- प्रगतिशील कर वे कर है जिसमें आय में परिवर्तन के अनुरूप कर की दरों में भी परिवर्तन किया जाता है।
- केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से सम्बन्धित है।
- मोडवैट व सैनवेट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित है।
- राज्य स्तर पर वैट बिक्रीकर (व्यापार कर) के स्थान पर लागू हुआ।
- केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में शामिल है: आयकर, निगम कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, बैंक कैश ट्रेन्जेक्शन टैक्स*, अस्ति कर, प्रतिभूति व्यापार कर, लाभांश कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स*, लाभांश वितरण कर, व्यय कर*

  नोट— *वर्तमान में यह कर समाप्त हो चुके हैं।
- असीम दास गुप्ता समिति की संस्तुति पर भारत में 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू हुआ।
- वैट सिद्धान्त के प्रतिपादक एफ वॉन सीमेन्स (वर्ष 1918) है।
- वैट को सबसे पहले जर्मनी (1921) में लागू किया, परन्तु वह सफल नहीं रहा।
- सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लगाने का श्रेय फ्रांस को (1954) जाता है।
- 6 नवम्बर, 2015 को केन्द्र सरकार ने स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु 0.50% का सेस आरोपित किया था।
- स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मलजल (सीवरेज) का वित्तपोषण चुंगी तथा प्रवेश कर से होगा।
- 'बायो टॉयेलट' लगाने की घोषणा रेल बजट, 2015-16 में डीआरडीओ द्वारा की गयी, इस तकनीक को विकसित एवं प्रमाणित करने का श्रेय डीआरडीओ को जाता है।
- भारत और अमेरिका के मध्य 'विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनयम' क्रियाशील 30 सितम्बर, 2015 में हुआ।
- भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम' की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत की है।
- केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र कर और उन्हें राज्यों के साथ बाँटा जाता है, वे कर हैं—उत्पाद कर, आय पर उपकर, तट कर आदि।
- उत्पादन के अन्तिम बिक्री तक प्रत्येक मूल्य वृद्धि के स्तर पर वैट लगाया जाता है।
- आयात व निर्यात पर लगाये जाने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं।
- केन्द्र सरकार की कर आय के सबसे बड़े स्त्रोत निगम कर और आयकर हैं।
- सीमा शुल्क तथा निगम कर केवल संघीय सरकार के कर हैं।
- मनोरंजन कर केन्द्र सरकार का कर नहीं है।
- किसान विकास पत्र पर (वर्तमान में) आयकर छूट नहीं है।
- भारत में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में उत्पाद शुल्क प्राप्ति में पिछले 5 वर्षों में कमी आयी है।